[2021] 8 एस.सी.आर. 1149

गुणशेखरन

बनाम

संभागीय अभियंता राष्ट्रीय

राजमार्ग एवं अन्य।

(2021 की सिविल अपील संख्या 4946)

24 अगस्त, 2021

[के. एम. जोसेफ और एस. रवीन्द्र भट्ट, जे.जे.]

राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002- धारा 26 - तमिलनाडु राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2001 - धारा 28(2)(iii) - राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 - धारा 5 - कारण बताओ नोटिस जारी किए गए अपीलकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने 'राष्ट्रीय राजमार्ग' में शामिल संपति पर अतिक्रमण किया है - अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं और कहा कि नोटिस धारा के तहत जारी किए गए थे। राज्य अधिनियम 2001 के 28(2)(iii) और अधिकारियों के पास उक्त अधिनियम के तहत क्षेत्राधिकार नहीं था - उच्च न्यायालय को कारण बताओ नोटिस में कोई त्रुटि नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं, राज्य ने तर्क दिया के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी। 1956 के अधिनियम के 5 और जिन सड़कों पर उक्त अतिक्रमण हुआ था, वे अधिसूचना के अंतर्गत आती थीं। आगे तर्क दिया गया कि राज्य ने राज्य अधिनियम 2001 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए थे और नोटिस जारी करने वाले अधिकारी के पास अधिकार क्षेत्र था - माना गया: का एक अवलोकन 2002 अधिनियम की धारा 26, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसके साथ उक्त कानून अधिनियमित किया गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी अतिक्रमण को हटाने की शक्ति और प्रक्रिया के संबंध में कोई संदेह नहीं है - उपयुक्त अधिनियम 2002 का अधिनियम है - कारण बताओ नोटिस जो राज्य अधिनियम, 2001 की धारा 28 के तहत जारी किए गए थे, 1956 अधिनियम की धारा 5 के

तहत जारी अधिसूचना के प्रावधानों के तहत जारी किए गए थे, अनधिकृत थे - कार्रवाई का अधिकार और कानून जहां ऐसी कार्रवाई हो सकती है लिया जाना सभी 2002 अधिनियम में स्थित पाए गए हैं - इसलिए, लगाए गए कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया गया है - लगाए गए फैसले को अलग रखा गया है और रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

माना गया: 1. राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 26 का अवलोकन, जिस उद्देश्य से उक्त कानून बनाया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी अतिक्रमण को हटाने की शक्ति और प्रक्रिया के संबंध में। उपयुक्त कानून 2002 का अधिनियम है। दूसरे शब्दों में, इन मामलों में जो कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और लगाए गए हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 5 के तहत आश्रय की मांग करते हुए जारी किया गया है। अधिनियम की धारा 5 के तहत शक्ति 1956 का विस्तार नहीं होता है, जैसा कि 2002 के अधिनियम की परिस्थितियों और 2002 के अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों से स्पष्ट है, विशेष रूप से, धारा 26 जो प्रक्रिया के साथ-साथ अतिक्रमण को हटाने की शक्ति भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय राजमार्गों को. 2002 के अधिनियम की धारा 14 ट्रिब्यूनल में अपील का अधिकार प्रदान करती है। [पैरा 12]

2. चर्चा का निष्कर्ष यह है कि कारण बताओ नोटिस, जो वास्तव में, राज्य अधिनियम, 2001 की धारा 28 के तहत शक्ति रखने वाले अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं, और जिन्हें राज्य अधिसूचना के प्रावधानों के तहत आराम देना चाहता है। 1956 के अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी किए गए, अनधिकृत हैं। जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से देखा है, जिन आधारों पर कारण बताओ नोटिस में हस्तक्षेप किया जा सकता है उनमें से एक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र की कमी है। यह एक ऐसा मामला है, जहां कार्रवाई करने का अधिकार और वह कानून जिसके तहत ऐसी कार्रवाई की जा सकती है, सभी 2002 के अधिनियम में स्थित हैं। अधिक विशिष्ट होने के लिए, धारा 26 का प्रावधान कार्रवाई को गति देने के लिए वैधानिक चार्टर प्रदान करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण से मुक्ति हेतु कार्यवाही। [पैरा 13]

3. उत्तरदाताओं के पास यह मामला नहीं है कि जिस प्राधिकरण ने इन मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया है वह धारा 26 के तहत विचार किया गया प्राधिकरण है। धारा 26 में विचार किया गया प्राधिकरण धारा 3 के तहत गठित राजमार्ग प्राधिकरण या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी है राजमार्ग प्राधिकरण. चूंकि धारा 26 के तहत शक्तियों के आधार पर कोई दावा नहीं उठाया गया है, इसलिए यह न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है। [पैरा 14]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2021 की सिविल अपील संख्या 4946

2020 के डब्ल्यूपी एमडी नंबर 19322 में मद्रास, मदुरै बेंच के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 29.04.2021 से।2021 की सिविल अपील संख्या 4947, 4948 और 4949 के साथ।

बी. करुणाकरन, एम. सरवनन, जगदीश पांडियन, अनिरुद्ध जे, जी. संजय, अनूप प्रकाश अवस्थी, एस. गौतमन, सलाहकार। अपीलकर्ता के लिए.

वी. कृष्णमूर्ति, एएजी, डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री प्रीति सिंह, सुश्री रिपुल स्वाति कुमारी, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

के. एम. जोसेफ, जे

अनुमति दी गई.

(1) डॉ. जोसेफ अरस्तू, विद्वान वकील, 2021 की सिविल अपील संख्या 4948 (2021 की एसएलपी (सी) संख्या 12587 से उत्पन्न) और 2021 की सिविल अपील संख्या 4949 में उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित होते हैं और नोटिस स्वीकार करते हैं। (2021 की एसएलपी (सी) संख्या 12947 से उत्पन्न)

(2) इन मामलों में अपीलकर्ताओं ने रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें उन्होंने उत्तरदाताओं द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय द्वारा, आक्षेपित नोटिसों में हस्तक्षेप नहीं किया, यह देखते हुए कि अपीलकर्ताओं ने

किसी भी दुर्भावना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है और तदनुसार उनकी रिट याचिकाएँ खारिज कर दी गईं

हालाँकि, अनुच्छेद 15 में इसे इस प्रकार रखा गया है:

"15. हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला है कि वे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर उत्तरदाताओं को कारण बताओ नोटिस पर अपना स्पष्टीकरण दें और यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई स्पष्टीकरण दिया जाता है, तो 2. प्रतिवादी इस पर विचार करेगा और अपना स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा और उसके बाद आगे बढ़ेगा। कोई लागत नहीं. नतीजतन, संबंधित विविध याचिकाएं भी खारिज की जाती हैं।"

विवाद मूलतः एक संकीर्ण दायरे में निहित है। कारण बताओ नोटिस में लगाया गया आरोप इस आशय का है कि अपीलकर्ताओं ने प्रश्न में 'राष्ट्रीय राजमार्ग' में शामिल संपत्ति पर अतिक्रमण किया है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा स्थापित मामला यह था कि नोटिस जारी किए गए हैं, जो तमिलनाडु राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2001 (इसके बाद राज्य अधिनियम, 2001 के रूप में संदर्भित) की धारा 28 (2) (ii) के तहत जारी किए गए हैं। संक्षिप्तता के लिए)। यह तर्क दिया गया कि उक्त अधिनियमभूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के मद्देनजर शून्य हो गया था। इसे समाप्त कर दिया गया और तर्क दिया गया कि राज्य अधिनियम, 2001 के तहत प्राधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कथित अतिक्रमण से निपटने का मामला।

उच्च न्यायालय ने नोटिस किया कि हालांकि सड़क वास्तव में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की है, सड़क का निर्माण और रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग विंग, राजमार्ग विभाग, तमिलनाडु सरकार के अधिकारी की देखरेख और नियंत्रण में था। यह देखते हुए कि चूंकि सड़क का विषय राष्ट्रीय राजमार्ग विंग, राजमार्ग विभाग, तमिलनाडु सरकार के रखरखाव और पर्यवेक्षण के अधीन है, न्यायालय को लगाए गए नोटिस में कोई त्रुटि नहीं मिली। यह भी बताया गया है कि उक्त राजमार्ग पर 326 अतिक्रमणकारी थे और सर्वेक्षण के बाद ऐसे अतिक्रमणों की पहचान की गई

और नोटिस जारी किए गए। आगे यह देखा गया कि लगाए गए नोटिस केवल कारण बताओ नोटिस हैं, जिनमें आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, सिवाय

(3) हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री बी. करुणाकरण और राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री वी. कृष्णमूर्ति को सुना है।

(4) अपीलों में, अपीलकर्ताओं ने शिकायत जारी रखी कि नोटिस राज्य अधिनियम, 2001 के तहत जारी किए गए हैं। अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि जिस अधिकारी ने नोटिस जारी किया, वह संभवत: अधिकार नहीं छीन सका। तात्पर्य राष्ट्रीय राजमार्ग में कथित अतिक्रमण को हटाना।

(5) तमिलनाडु राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री वी. कृष्णमूर्ति द्वारा व्यक्त राज्य का तर्क यह है कि अधिसूचना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 5 के तहत जारी की गई है (इसके बाद संदर्भित किया गया है) संक्षिप्तता के लिए '1956 के अधिनियम' के रूप में) और जिन सड़कों पर अतिक्रमण हुआ है, वे अधिसूचना के अंतर्गत आती हैं। उत्तरदाताओं का यह तर्क है कि जिस अधिकारी ने कथित तौर पर राज्य अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है, उसके पास अधिकार क्षेत्र है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही पाया है।प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र की कमी के या यदि दुर्भावना को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तदनुसार, रिट याचिकाओं को संज्ञान में आने पर खारिज कर दिया गया।

(6) यदि हम 1956 के अधिनियम के वैधानिक ढांचे पर ध्यान दें, तो यह अधिनियम धारा 5 में निम्नानुसार प्रावधान करता है:

> 5. राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी- सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उचित मरम्मत में रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी; लेकिन केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास या रखरखाव के संबंध में कोई भी कार्य, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, द्वारा भी किया जा सकता है। उस राज्य की सरकार जिसके भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा।

निस्संदेह इस मामले में धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी की गयी है.

(7) यदि मामला इस प्रकार खड़ा होता, तो शायद यह तर्क दिया जा सकता था कि अनुभाग में शामिल शक्ति इन मामलों में नोटिस के लेखक को सौंपी गई है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण हटाने तक विस्तारित है। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में, धारा 5 राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उचित मरम्मत के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी के बारे में बात करती है। इसमें निस्संदेह यह भी प्रावधान है कि किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रखरखाव के संबंध में कोई भी कार्य, ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, उस राज्य की सरकार द्वारा भी किया जा सकता है जिसके भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग है स्थित या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा। यह इस शक्ति के संदर्भ में है कि प्रतिवादी-राज्य द्वारा भरोसा किया गया अधिसूचना जारी किया गया है, अर्थात यह राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास या रखरखाव से संबंधित कार्यों के लिए प्रदान करता है। हालाँकि, विधायिका अभी भी खड़ी नहीं है। वर्ष 2002 में, नए कानून पर मंथन किया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए '2002 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। वस्तुओं एवं कारणों का विवरण निम्नलिखित है:

> “1. वर्तमान में, राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 द्वारा शासित होते हैं। इन अधिनियमों में राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा और विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन के प्रावधान शामिल हैं। , रखरखावऔर राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबंधन और उससे जुड़े मामले। हालाँकि, ये अधिनियम केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत भूमि पर अतिक्रमण को रोकने या हटाने/या निकटवर्ती भूमि से उन तक पहुंच को प्रतिबंधित करने, या राष्ट्रीय पर किसी भी श्रेणी के वाहनों या जानवरों के यातायात आंदोलन को विनियमित करने की शक्ति नहीं देते हैं। राजमार्ग। मौजूदा कानून और नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान इन अधिनियमों के उद्देश्यों को विफल करने के लिए निजी पक्षों द्वारा अपनाई गई टालमटोल रणनीति के मद्देनजर प्रभावी साबित नहीं हुए हैं। इन समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, राजमार्ग प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को आवश्यक शक्तियां प्रदान करना अनिवार्य है।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग तेजी से भीड़भाड़ वाले हो रहे हैं और अवांछनीय सड़क किनारे विकास और अतिक्रमण से अवरुद्ध हो रहे हैं। वास्तव में, बढ़ते यातायात के जवाब में अतिक्रमण मौजूदा सड़कों को और चौड़ा करना बहुत कठिन और महंगा है, और अक्सर असंभव भी है। नतीजा यह है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर मुख्य यातायात को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सेवा के गिरते स्तर को लेकर व्यापक आलोचना हो रही है।

3. राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सशक्त बनाने वाले कानून की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप दुकानें, होटल, चाय की दुकानें, मरम्मत की दुकानें, पेट्रोल पंप, वेट ब्रिज, आवास और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहे हैं।

4. राजमार्ग प्राधिकरणों के पास राष्ट्रीय राजमार्गों पर आने वाले यातायात को विनियमित करने या राजमार्गों से जुड़ने वाली पहुंच सड़कों की संख्या को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। यह सब ओवरलोडिंग, बढ़ती भीड़, ईंधन की बर्बादी, कम गति, दुर्घटनाओं की उच्च घटनाओं, वाहन संचालन लागत में वृद्धि और अस्वास्थ्यकर और अस्वास्थ्यकर स्थितियों के कारण सड़कों और पुलों की विफलता का कारण बनता है। यह भी देखा गया है कि उपयोगिता संगठनों द्वारा राजमार्गों को अक्सर खोदा जाता है जिससे राजमार्गों पर यातायात खतरे में पड़ जाता है। राजमार्ग अधिकारियों के पास ऐसे उपद्रवों को रोकने के लिए कोई पर्याप्त कानूनी अधिकार नहीं है।

(8) धारा 3 राजमार्ग प्रशासन की स्थापना का प्रावधान करती है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

3. राजमार्ग प्रशासन की स्थापना-(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,

(ए) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक निकाय या प्राधिकरण की स्थापना करेगा जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार के एक या अधिक अधिकारी शामिल होंगे, जिसे राजमार्ग प्रशासन के रूप में जाना जाएगा, जो इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेगा; और(

(बी) उस राजमार्ग की सीमा को परिभाषित करें जिसके भीतर, या राजमार्ग की लंबाई, जिस पर राजमार्ग प्रशासन का अधिकार क्षेत्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस उप-धारा के तहत जारी अधिसूचना में या किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, कोई शर्त या सीमा लगा सकती है जिसके अधीन एक राजमार्ग प्रशासन इस अधिनियम के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेगा।

(2) केंद्र सरकार किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए या उपधारा (1) के तहत एक राजमार्ग के लिए एक या अधिक राजमार्ग प्रशासन स्थापित कर सकती है।

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, राजमार्ग प्रशासन इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन ऐसे तरीके से करेगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है।

(9) धारा 4 राजमार्ग प्रशासन की शक्तियों और कार्यों का प्रावधान करती है:

4. राजमार्ग प्रशासन की शक्तियां और कार्य - एक राजमार्ग प्रशासन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अपने पूरे अधिकार क्षेत्र में शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन ऐसी शर्तों या सीमाओं के अधीन करेगा जो धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना द्वारा लगाई जा सकती हैं। और केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में दिए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा।

(10) अध्याय III राजमार्ग भूमि पर अनधिकृत कब्जे की रोकथाम से संबंधित है और धारा 23 के तहत, राजमार्ग भूमि को केंद्र सरकार की संपत्ति माना जाता है।

धारा 24 अन्य बातों के साथ-साथ राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी राजमार्ग भूमि पर किसी भी व्यक्ति के कब्जे या ऐसी भूमि पर नाली के माध्यम से किसी भी सामग्री के निर्वहन को रोकने का प्रावधान करती है।

(11) अनाधिकृत कब्जे को हटाने से संबंधित धारा 26 इस प्रकार है:

26. अनधिकृत कब्जे को हटाना.-(1) जहां राजमार्ग प्रशासन या इस संबंध में ऐसे प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी की राय है कि यातायात सुरक्षा या सुविधा के हित में उपधारा के तहत जारी किसी भी परमिट को रद्द करना आवश्यक है। (2) धारा 24 में, ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद, ऐसे परमिट को रद्द कर सकता है और, उसके बाद, जिस व्यक्ति को अनुमति दी गई थी, वह राजमार्ग प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसा अधिकारी परमिट में निर्दिष्ट राजमार्ग के हिस्से को ऐसी स्थिति में बहाल करेगा जैसा कि यह परमिट जारी होने से ठीक पहले था और ऐसे हिस्से का कब्जा राजमार्ग प्रशासन को सौंप देगा और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर ऐसा कब्जा देने में विफल रहता है, इस धारा और धारा 27 के प्रयोजनों के लिए उसे राजमार्ग भूमि पर अनधिकृत कब्ज़ा करने वाला माना जाएगा।

(2) जब, राजमार्ग भूमि के आवधिक निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा, राजमार्ग प्रशासन या इस संबंध में ऐसे प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि राजमार्ग भूमि पर कोई अनधिकृत कब्जा हो गया है, तो राजमार्ग प्रशासन या अधिकारी इस प्रकार प्राधिकृत ऐसे अनधिकृत कब्जे को करने वाले या उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को एक निर्धारित प्रपत्र में एक नोटिस देगा, जिसमें उससे ऐसे अनधिकृत कब्जे को हटाने और नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी राजमार्ग भूमि को अनधिकृत कब्जे से पहले की मूल स्थिति में बहाल करने की आवश्यकता होगी।

(3) उप-धारा (2) के तहत नोटिस में उस राजमार्ग भूमि को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके संबंध में ऐसा नोटिस जारी किया गया है, वह अवधि जिसके भीतर ऐसी भूमि पर अनधिकृत कब्जे को हटाना आवश्यक है, सुनवाई का स्थान और समय अभ्यावेदन, यदि कोई हो, जिसे वह व्यक्ति जिसे नोटिस संबोधित किया गया है, नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर दे सकता है और ऐसे नोटिस का अनुपालन करने में विफलता के कारण नोटिस में निर्दिष्ट व्यक्ति दंड के लिए उत्तरदायी होगा, और राजमार्ग भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। जिसके संबंध में उपधारा (6) के तहत ऐसा नोटिस जारी किया गया है।

(4) उप-धारा (2) के तहत नोटिस की सेवा उस व्यक्ति को उसकी एक प्रति देकर या उसकी ओर से उसके एजेंट या अन्य व्यक्ति को या उस व्यक्ति को संबोधित पंजीकृत डाक द्वारा की जाएगी। ऐसा नोटिस किसको संबोधित है और एक पावती जो ऐसे व्यक्ति या उसके एजेंट या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है या एक डाक कर्मचारी द्वारा एक समर्थन है कि ऐसे व्यक्ति या उसके एजेंट या उसकी ओर से ऐसे अन्य व्यक्ति ने डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया है प्रथम दृष्टया सेवा का प्रमाण माना जा सकता है।

(5) जहां नोटिस की सेवा उप-धारा (4) के तहत प्रदान किए गए तरीके से नहीं की जाती है, नोटिस की सामग्री को उस व्यक्ति की जानकारी के लिए स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापित किया जाएगा जिसे नोटिस संबोधित किया गया है और ऐसे विज्ञापन को ऐसे व्यक्ति पर ऐसे नोटिस की तामील माना जाएगा।

(6) जहां उप-धारा (2) के तहत नोटिस की सेवा उप-धारा (4) या उप-धारा (5) के तहत की गई है और राजमार्ग भूमि पर अनधिकृत कब्जा नहीं है जिसके संबंध में ऐसा नोटिस दिया गया है ऐसे उद्देश्य के लिए नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर हटा दिया गया है और राजमार्ग प्रशासन या इस संबंध में ऐसे प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष अनधिकृत कब्जे को न हटाने के लिए कोई उचित कारण नहीं दिखाया गया है, राजमार्ग प्रशासन या ऐसे अधिकारी, जैसा भी मामला हो हो सकता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, के खर्च पर ऐसे अनधिकृत कब्जे को हटवाएगा और जिस व्यक्ति को नोटिस संबोधित किया गया है उस पर जुर्माना लगाएगा जो पांच सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर होगा। इस प्रकार अनाधिकृत रूप से कब्जा की गई भूमि का और जहां इस प्रकार लगाया गया जुर्माना ऐसी भूमि की लागत से कम है, जुर्माना ऐसी लागत के बराबर बढ़ाया जा सकता है।

(7) इस धारा में किसी भी बात के बावजूद, राजमार्ग प्रशासन या इस संबंध में ऐसे प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास इस धारा के तहत कोई नोटिस जारी किए बिना राजमार्ग भूमि पर अनधिकृत कब्जे को हटाने की शक्ति होगी, यदि ऐसा अनधिकृत कब्जा है इसकी प्रकृति-

(ए) किसी भी सामान या वस्तु को उजागर करना-

(i) खुली हवा में; या

(ii) अस्थायी स्टॉल, कियोस्क, बूथ या अस्थायी प्रकृति की किसी अन्य दुकान के माध्यम से,

(बी) निर्माण या निर्माण, चाहे

अस्थायी या स्थायी, या

(सी) अतिचार या अन्य अनधिकृत कब्ज़ा

जिसे बिना उपयोग के आसानी से हटाया जा सकता है

किसी मशीन या अन्य उपकरण का, और ऐसे कब्जे को हटाने में, यदि आवश्यक हो तो राजमार्ग प्रशासन या ऐसा अधिकारी पुलिस की सहायता ले सकता है, ताकि ऐसे कब्जे को हटाने के लिए आवश्यक उचित बल का उपयोग करके ऐसे कब्जे को हटाया जा सके।

(8) इस धारा में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि राजमार्ग प्रशासन या इस संबंध में ऐसे प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी की राय है कि राजमार्ग भूमि पर कोई भी अनधिकृत कब्जा ऐसी प्रकृति का है जिसे तत्काल हटाना आवश्यक है का हित-

(ए) राजमार्ग पर यातायात की सुरक्षा; या

(बी) राजमार्ग का हिस्सा बनने वाली किसी भी संरचना की सुरक्षा,

और इस धारा के तहत इस तरह के अनधिकृत कब्जे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अनुचित देरी के बिना कोई नोटिस नहीं दिया जा सकता है, राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी किसी भी निर्माण में बदलाव सहित ऐसा निर्माण कर सकता है। खंड (ए) या खंड (बी) में निर्दिष्ट सुरक्षा के

लिए आवश्यक निर्धारित लागत पर संभव हो सकता है या उप-धारा (7) में निर्दिष्ट तरीके से ऐसे अनधिकृत कब्जे को हटाया जा सकता है।

(9) राजमार्ग प्रशासन या इस संबंध में ऐसे प्रशासन द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के पास, इस धारा या धारा 27 के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (5) के तहत एक सिविल अदालत में निहित हैं। 1908), एक मुकदमे की सुनवाई करते समय, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्: -

(ए) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उसकी जांच करना;

(बी) दस्तावेजों की खोज और उत्पादन की आवश्यकता;

(सी) गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी करना; और

(डी) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है,

और ऐसे प्रशासन या अधिकारी के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और प्रशासन या अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय XXVI के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय माना जाएगा।"

(12) धारा 26 का अवलोकन, जिस उद्देश्य से उक्त कानून बनाया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी अतिक्रमण को हटाने की शक्ति और प्रक्रिया के संबंध में हमें कोई संदेह नहीं है। उपयुक्त कानून 2002 का अधिनियम है। दूसरे शब्दों में, इन मामलों में जो कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और लगाए गए हैं, उन्हें 1956 के अधिनियम की धारा 5 के तहत आश्रय की मांग करते हुए जारी किया गया है। 1956 के अधिनियम की धारा 5 के तहत शक्ति विस्तारित नहीं किया जाएगा जैसा कि 2002 के अधिनियम की परिस्थितियों और 2002 के अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों, विशेष रूप से धारा

26 से स्पष्ट हो गया है, जो प्रक्रिया के साथ-साथ राष्ट्रीय के संबंध में अतिक्रमण हटाने की शक्ति भी प्रदान करता है। राजमार्ग। 2002 के अधिनियम की धारा 14 ट्रिब्यूनल में अपील का अधिकार प्रदान करती है।

(13) उपरोक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है कि कारण बताओ नोटिस, जो वास्तव में, राज्य अधिनियम, 2001 की धारा 28 के तहत शक्ति प्राप्त अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, और जिसे राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील चाहते हैं बाकी अधिनियम 1956 की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना के प्रावधानों के तहत अनधिकृत हैं। जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से देखा है, जिन आधारों पर कारण बताओ नोटिस में हस्तक्षेप किया जा सकता है उनमें से एक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र की कमी है। यह एक ऐसा मामला है, जहां कार्रवाई करने का अधिकार और वह कानून जिसके तहत ऐसी कार्रवाई की जा सकती है, सभी 2002 के अधिनियम में स्थित हैं। अधिक विशिष्ट होने के लिए, धारा 26 का प्रावधान कार्रवाई को गति देने के लिए वैधानिक चार्टर प्रदान करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण से मुक्ति हेतु कार्यवाही।

(14) उत्तरदाताओं के पास हमारे सामने कोई मामला नहीं है कि जिस प्राधिकारी ने इन मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया है वह धारा 26 के तहत विचार किया गया प्राधिकारी है। धारा 26 धारा 3 के तहत गठित राजमार्ग प्राधिकरण या राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी है।

चूंकि धारा 26 के तहत शक्तियों के आधार पर कोई दावा नहीं उठाया गया है, इसलिए हम इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हैं।

तदनुसार, आक्षेपित निर्णय निरस्त किया जाता है। रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। लगाए गए कारण बताओ नोटिस रद्द कर दिए जाएंगे। हालाँकि, हम यह बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि धारा 26 के तहत सक्षम प्राधिकारी पर कानून में सलाह के अनुसार उचित कार्रवाई करने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपरोक्तानुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अंकित ज्ञान अपील स्वीकार की गई

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।